रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08042022-234981
CG-DL-E-08042022-234981

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 187] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 8, 2022/चैत्र 18, 1944
No. 187] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 8, 2022/CHAITRA 18, 1944

भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2022

भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) संशोधन विनियम, 2022

(2022 की सं. 2)

सं. एल-3(2)/विनियम-साधारण(संशो.)/2022/सीसीआई.—भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) के खंड 36, 57 और 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) विनियम, 2009 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है अर्थात्:

1. संक्षिप्त नाम एवं आरंभ.-

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) संशोधन विनियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) विनियम, 2009 में, विनियम 35 में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

(1) आयोग किसी सूचना देने वाले व्यक्ति की इसकी लिखित में अनुरोध किये जाने पर उसकी पहचान की गोपनीयता बनाए रखेगा।

परंतु जहां अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान प्रकट करना आवश्यक या समीचीन है, वहां आयोग सूचना देने वाले व्यक्ति को आयोग के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत करने के लिए युक्तियुक्त अवसर देने के उपरांत उसकी पहचान प्रकट करेगा।

(2) कोई पक्षकार उसके द्वारा प्रस्तुत सूचना या दस्तावेजों पर गोपनीयता की मांग करता है तो वह ऐसे व्यवहार के लिए अकाट्य कारण देगा और स्वयं प्रमाणित करेगा कि किसी दस्तावेज या दस्तावेजों या सूचना या उसके किसी भाग या भागों को गोपनीय न रखने के परिणामस्वरूप व्यापार रहस्यों का प्रकटन होगा या किसी सूचना के वाणिज्यिक मूल्य में बर्बादी होगी या सारवान कमी होगी या उससे युक्तियुक्त रूप से कोई गंभीर क्षति होने की आशंका है। इसके अतिरिक्त, पक्षकार स्व-प्रमाणन के आधार पर, उस तारीख के साथ जिसको ऐसा गोपनीय व्यवहार समाप्त हो जाएगा, निम्नलिखित की पुष्टि करेगा:

(क) कि सूचना सार्वजनिक प्रभाव क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है;

(ख) कि सूचना पक्षकार के कारबार के सीमित कर्मचारियों, प्रदायकर्ताओं, वितरकों और उसमें अंतर्वलित अन्य व्यक्तियों को ज्ञात है;

(ग) कि पक्षकार द्वारा सूचना की गोपनीयता की सुरक्षा के लिए पर्याप्त उपाय किये गये हैं;

(घ) कि सूचना अन्य व्यक्तियों द्वारा अर्जित नहीं की जा सकती है या अनुलिपि नहीं बनाई जा सकती है।

गोपनीयता का दावा करने वाला पक्षकार, यथा उपर्युक्त अपेक्षाओं के निबंधनानुसार दावे प्रमाणित करते हुए एक वचनबंध प्रदान करेगा और ऐसा वचनबंध या तो पक्षकार स्वयं या उसका कोई कर्मचारी दाखिल करेगा जो संबंधित पक्षकार की ओर से ऐसे प्राधिकार जारी करने के लिए मंडल या कोई अन्य समकक्ष निकाय द्वारा प्राधिकृत हो:

परंतु यह कि मिथ्या वचनबंध प्रस्तुत करने वाले पक्षकार, अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, कार्यवाही किये जाने के भागी होंगे।

(3) गोपनीयता का दावा करने वाला पक्षकार उसके प्रथम पृष्ठ के ऊपरी भाग पर लाल स्याही में 'प्रकाशन के निर्बंधन का दावा' और प्रत्येक पृष्ठ पर ऊपरी भाग के निकट स्पष्ट और सुपठनीय रूप में 'गोपनीय' शब्दों को चिन्हांकित करते हुए एक पूर्ण पाठ दाखिल करेगा जिसके साथ उसका 'अगोपनीय' पाठ भी दाखिल किया जाएगा जो संपादित होगा/जिसमें ऐसी सूचना (सूचनाएं) या ऐसा दस्तावेज (ऐसे दस्तावेज) या उनका भाग (उनके भाग) सम्मिलित नहीं होगा (होंगे) जिसकी गोपनीयता का दावा किया गया है।

(4) ऐसा दस्तावेज(ऐसे दस्तावेज) का अगोपनीय पाठ उस गोपनीय पाठ की सही प्रति होगी, जिसमें उपनिनियम (3) में यथा उपबंधित सुस्पष्ट रीति में उपदर्शित गोपनीय सूचना का लोप होगा।

(5) ऐसा दस्तावेज (ऐसे दस्तावेज) या उसके भाग (उनके भाग) जिनका इस विनियम के अधीन गोपनीय होने का दावा किया गया है, उसे अगोपनीय अभिलेख से पृथक किया जाएगा और उसे सुरक्षित रूप से कार्यवाहियों का शीर्षक, डॉकेट संख्या 'गोपनीय' टिप्पणी और वह तारीख लिखी जाएगी, जिसको गोपनीय व्यवहार की अवधि समाप्त हो जाएगी।

परंतु यह कि निम्नलिखित को यथास्थिति, 'गोपनीय (तलाशी और जब्ती/ई-मेल डंप/कॉल डिटेल रिकॉर्ड आदि)' के रूप में चिन्हांकित किया जाएगा और अलग से रखा जाएगा:

(क) तलाशी और जब्ती अभियान के द्वारा प्राप्त दस्तावेज/सामग्री;

(ख) ई-मेल डंप;

(ग) कॉल डिटेल रिकॉर्ड; या

(घ) वैयक्तिक सूचना की प्रकृति में कोई अन्य दस्तावेज/सामग्री

(6) आयोग यदि आवश्यक या समीचीन समझे, अधिनियम की धारा 35 के अधीन विनिर्दिष्ट प्राधिकृत प्रतिनिधि जो उपविनियम (5) में यथा उल्लिखित सूचना तक पहुंच रखने में सक्षम होगा जो इन विनियमों के विनियम 37 के निबंधनानुसार असंपादित स्वरूप में यथापेक्षित है, सहित लेकिन यहीं तक सीमित नहीं, पक्षकारों के ऐसे प्राधिकृत प्रतिनिधि को मिलाकर गोपनीयता वलय(वलयों) को स्थापित कर सकेगा।

परंतु यह कि आयोग, गोपनीयता वलय स्थापित करते समय, पहुंचयोग्य बनाये जाने वाली सूचना के साथ-साथ गोपनीयता वलय में प्रयोजन के लिए सम्मिलित होने वाले पक्षकारों और उनके सदस्यों की सीमा, जो उचित हो विनिश्चित कर सकेगा:

परंतु यह और कि उपविनियम (5) के परंतु में उल्लिखित दस्तावेज/सामग्री जिन पर महानिदेशक के प्रतिवेदन के गोपनीय पाठ में भरोसा किया गया है, गोपनीय वलय के सदस्यों तक पहुंचयोग्य बनाया जाएगा।

(7) गोपनीयता वलय में सम्मिलित होने वाले पक्षकारों को उपविनियम (6) के निबंधनानुसार असंपादित सूचना तक पहुंच, उनके द्वारा यह कथन करते हुए कि सूचना जिस तक ऐसे वलय के अनुसरण में उनके सदस्यों की पहुंच है, उसे किसी अन्य व्यक्ति जिसके अंतर्गत संबंधित उद्यम का कोई अधिकारी और/या अन्य कर्मचारी या संबंधित उद्यम का कोई सह-उद्यम, अनुषंगी, समूह अस्तित्व का कोई अधिकारी और/या कर्मचारी, या कोई अन्य व्यक्ति, जो भी हो, भी हैं, को साझा नहीं करेंगे और/या प्रकटन नहीं करेंगे और कि वे ऐसी सूचना और दस्तावेजों का केवल अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के प्रयोजन के लिए ही उपयोग करेंगे, और वे ऐसी सूचना और दस्तावेजों को अपनी एकमात्र अभिरक्षा के अंतर्गत रखेंगे, और वर्तमान कार्यवाहियों की परिणिति पर उसे नष्ट कर देंगे, पर वचनबंध दाखिल करने पर प्रदान की जाएगी:

परंतु यह कि गोपनीयता वलय में सम्मिलित प्रत्येक पक्षकार, अन्य पक्षकारों को जिन्हें उनके सदस्यों द्वारा गोपनीयता सूचना की पहुंच दी जा रही है, के विषय में उपर्युक्त निबंधनों पर अलग वचनबंध (वचनबंधों) को भी प्रदान करेंगे, और पक्षकारों के पास ऐसे वचनबंध (वचनबंधों) के कोई उल्लंघन के मामले में, विधिनुसार, समुचित प्रतिकारों का लाभ उठाने की स्वतंत्रता होगी:

परंतु यह और कि गोपनीयता वलय का भाग बनने वाले संबंधित पक्षकारों के प्रतिनिधि वचनबंधों के उल्लंघन के लिए अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, कार्यवाही किये जाने के भागी होंगे।

(8) सूचना देने वाला, गोपनीयता वलय का भाग नहीं बनेगा और उसके पास केवल अगोपनीय अभिलेख तक ही पहुंच होगी:

परंतु यह कि आयोग उपयुक्त मामलों में सूचना देने वाले को गोपनीयता वलय में सम्मिलित कर सकेगा, यदि वह सूचना देने वाले का वलय में समावेशन प्रभावी जांच के लिए आवश्यक या समीचीन समझता है।

(9) यदि आयोग किसी ऐसे आदेश या विनिश्चय या राय, सूचना में ऐसा कोई भाग सम्मिलित करता है जिसे इस विनियम के अधीन गोपनीय दावा किया गया है, तो आयोग, यथास्थिति, आदेश या विनिश्चय या राय के दो पाठ बनाएगा। अगोपनीय पाठ, जिसमें ऐसी गोपनीय सूचना, जो पूर्ण पाठ में विद्यमान है, का लोप है, पक्षकारों पर तामील की जाएगी, और अगोपनीय अभिलेख में सम्मिलित की जाएगी। पूर्ण पाठ को उपविनियम (4) में उपबंधित किये गये अनुसार गोपनीय अभिलेखों में रखा जाएगा और उसे गोपनीयता वलय के सदस्यों के साथ साझा किया जाएगा।

(10) कोई व्यक्ति या पक्षकार, जिसके अंतर्गत अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन आयोग द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी या कर्मचारी या अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी या अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3) के अधीन आयोग द्वारा नियोजित कोई विशेषज्ञ या वृत्तिक या अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (3) के अधीन आयोग

की सहायता के लिए बुलाया गया कोई विशेषज्ञ भी है, ऐसा दस्तावेज (ऐसे दस्तावेजों) या उसका भाग (उनके भागों) की, जिसका इस विनियम के अधीन गोपनीय का दावा किया गया है, अंतर्वस्तु की गोपनीयता बनाए रखेगा और इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए ऐसी गोपनीय सूचना का उपयोग या प्रकटन या उसके संबंध में व्यवहार नहीं करेगा:

परंतु यह कि आयोग/महानिदेशक कार्यालय का कोई अधिकारी या कर्मचारी द्वारा गोपनीयता के उल्लंघन को, यथास्थिति, सुसंगत नियमों या विनियमों के अधीन अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ के लिए आधार माना जाएगा।

परंतु यह और कि यदि अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3) के अधीन आयोग द्वारा नियोजित किसी विशेषज्ञ या वृत्तिक या अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (3) के अधीन आयोग की सहायता के लिए बुलाए गए किसी विशेषज्ञ द्वारा गोपनीयता का उल्लंघन किया जाता है कि वह, यथास्थिति, ऐसे नियोजन या संविदा को समाप्त करने के लिए पर्याप्त आधार होगा।

ज्योति जिंदगर, सचिव (प्रभारी)

[विज्ञापन-III/4/असा./14/2022-23]

टिप्पण: मूल विनियमों को भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4 में अधिसूचना सं. आर- 40007/6/आरईजी-साधारण/ अधि/04/सीसीआई 4 तारीख 21 मई, 2009 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात इन्हें संशोधित करके भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4 में तारीख 20 अगस्त, 2009 की अधिसूचना सं. एल-3 (2)/विनि-साधारण (संशो.)/2009-10/सीसीआई, तारीख 20 अक्तूबर, 2010 की सं. एल-3 (2)/विनि-साधा. (संशो.)/ 2009-10/सीसीआई, तारीख 31 मार्च, 2011 की सं. एल-3 (2)/विनि-साधा. (संशो.)/ 2009-10/सीसीआई, तारीख 8 नवंबर, 2011 की सं. एल-3 (2)/विनि-साधा. (संशो.)/ 2011/सीसीआई, तारीख 7 अक्तूबर, 2013 की सं. एल-3 (2)/विनि-साधा. (संशो.)/ 2013/सीसीआई, तारीख 6 दिसंबर, 2018 की सं. एल-3 (2)/विनि-साधा. (संशो.)/ 2018/सीसीआई, तारीख 20 नवंबर, 2019 की सं. एल-3 (2)/विनि-साधा. (संशो.)/ 2019/सीसीआई, तारीख 6 फरवरी, 2020 की सं. एल-3 (2)/विनि-साधा. (संशो.)/ 2020/सीसीआई और तारीख 6 सितंबर, 2021 की सं. एल-3 (2)/विनि-साधा. (संशो.)/ 2021/सीसीआई द्वारा प्रकाशित किया गया था।

THE COMPETITION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th April, 2022

The Competition Commission of India (General) Amendment Regulations, 2022

(No. 2 of 2022)

No. L-3(2)/ Regl- Gen. (Amdt.)/ 2022/ CCI.—In exercise of the powers conferred by Sections 36, 57 and 64 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Competition Commission of India hereby makes the following regulations further to amend the Competition Commission of India (General) Regulations, 2009, namely: —

1. Short title and commencement. —

   (1) These regulations may be called the Competition Commission of India (General) Amendment Regulations, 2022.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Competition Commission of India (General) Regulations, 2009, Regulation 35 shall be substituted by the following:-

   (1) The Commission shall maintain confidentiality of the identity of an Informant on a request made to it in writing:

   Provided that where it is necessary or expedient to disclose the identity of the Informant for the purposes

of the Act, the Commission may do so after providing a reasonable opportunity to the Informant, to represent its case before the Commission.

(2) A party seeking confidentiality over the information or the documents furnished by it shall set out cogent reasons for such treatment and shall self-certify that making the document or documents or information or a part or parts thereof public will result in disclosure of trade secrets or destruction or appreciable diminution of the commercial value of any information or can be reasonably expected to cause serious injury. Further, the party shall confirm the following, along with the date on which such confidential treatment shall expire, on self-certification basis:

(a) that the information is not available in the public domain;

(b) that the information is known only to limited employees, suppliers, distributors and others involved in the party's business;

(c) that adequate measures have been taken by the party to guard the secrecy of the information;

(d) that the information cannot be acquired or duplicated by others.

The party claiming confidentiality shall provide an undertaking certifying the claims in terms of the requirements as above and such undertaking shall be filed by either the party itself or any of its employee, who has been authorised by the Board or any other equivalent body to issue such authorisation on behalf of the party concerned:

Provided that the parties furnishing false undertaking shall be liable to be proceeded against, as per the provisions of the Act.

(3) The party claiming confidentiality shall file a complete version of such document(s) with the words 'restriction of publication claimed' in red ink on top of the first page and the word 'confidential' clearly and legibly marked in red ink near the top on each page together with a non-confidential version thereof, which shall redact/ not contain such information(s) or document(s) or part(s) thereof upon which confidentiality has been claimed.

(4) The non-confidential version of such document(s) shall be an exact copy of the confidential version with the omissions of the confidential information being indicated in a conspicuous manner, as stipulated in sub-regulation (3).

(5) The document(s) or part(s) thereof that have been claimed to be confidential under this regulation shall be segregated from the non-confidential record and kept securely, bearing the title, the docket number of the proceeding, the notation 'confidential' and the date on which confidential treatment expires:

Provided that the following shall be marked 'confidential (search and seizure/ e-mail dumps/ call detail records *etc.*)', as the case may be, and shall be kept separately:

(a) documents/ material obtained through search and seizure operations;

(b) e-mail dumps;

(c) call detail records; or

(d) any other document/ material in the nature of personal information.

(6) The Commission may, if considered necessary or expedient, set up Confidentiality Ring(s) comprising of such authorised representatives of the parties, including, but not limited to, the authorised representatives specified under Section 35 of the Act, who would be able to access the information as mentioned in sub-regulation (5), as required, in unredacted form in terms of Regulation 37 of these regulations:

Provided that the Commission, while setting up a Confidentiality Ring, may decide the extent of information to be made accessible, as well as the parties and their members to be included, in the Confidentiality Ring, as deemed appropriate, for the purpose:

Provided further that the documents/ material mentioned in proviso to sub-regulation (5) which have been relied upon in the confidential version of the report of the Director General, shall be made accessible to the members of the Confidentiality Ring.

(7) Access to unredacted information in terms of sub-regulation (6) shall be provided on filing of undertakings by the parties to be included in the Confidentiality Ring stating that the information accessed by their members pursuant to such ring, shall not be shared and/ or disclosed by them, to any other person including to any official and/ or other employee of enterprise concerned or to any official and/ or employee of any joint-venture, subsidiary, group entity of the concerned enterprise, or to any other person, whatsoever, and that they shall use such information and documents only for the purposes of the proceedings under the Act, and shall keep such information and documents within their sole custody, and

shall destroy the same at the culmination of the present proceedings:

Provided that separate undertaking(s) on aforesaid terms shall also be provided by each party included in the Confidentiality Ring, to the other parties in the matter, whose confidential information is being accessed by its members, and the parties shall have the liberty to avail suitable remedies as per law, in case of any breach of such undertaking(s):

Provided further that the representatives of the parties concerned forming part of Confidentiality Ring shall be liable to be proceeded against as per the provisions of the Act for breach of undertakings.

(8) The Informant shall not be part of Confidentiality Ring and shall have access to non-confidential records only:

Provided that the Commission may include the Informant in the Confidentiality Ring in appropriate cases, if the inclusion of the Informant in the ring is considered necessary or expedient for effective inquiry.

(9) If the Commission includes in any order or decision or opinion, information that has been claimed confidential under this regulation, the Commission shall make two versions of the order or decision or opinion, as the case may be. The non-confidential version which omits the confidential information that appears in the complete version, shall be served upon the parties, and shall be included in the non-confidential records. The complete version shall be placed in the confidential records as provided in sub-regulation (4) and the same shall be shared with the members of the Confidentiality Ring.

(10) Any person or party, including any officer or employee appointed by the Commission under sub-section (1) of Section 17 of the Act or any officer appointed by the Central Government under sub-section (1) of Section 16 of the Act or any expert or professional engaged by the Commission under sub-section (3) of Section 17 of the Act or any expert called upon to assist the Commission under sub-section (3) of Section 36 of the Act privy to the contents of the document(s) or part(s) thereof that have been claimed confidential under this regulation, shall maintain confidentiality of the same and shall not use or disclose or deal with such confidential information for any purpose other than the purposes of the Act or any other law for the time being in force:

Provided that breach of confidentiality by any officer or employee of the Commission/ Office of the DG shall constitute a ground for initiation of disciplinary proceedings under the relevant rules or regulations, as the case may be:

Provided further that breach of confidentiality by any expert or professional engaged by the Commission under sub-section (3) of Section 17 of the Act or any expert called upon to assist the Commission under sub-section (3) of Section 36 of the Act shall be sufficient ground for termination of the engagement or contract, as the case may be.

JYOTI JINDGAR, Secy. (I/C)

[ADVT.-III/4/Exty./14/2022-23]

Note:--- The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 *vide* Notification number R-40007/6/ Reg- General/ Noti/ 04- CCI, dated the 21st day of May, 2009 and subsequently amended and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 *vide* notifications number L-3(2)/ Regln.-Gen. (Amdt.) 2009-10/CCI dated the 20th August, 2009; number L-3(2) Regln.- Gen. (Amdt.)/2009-10/CCI dated the 20th October, 2010; number L-3(2) Regln.-Gen. (Amdt.)/2009-10/CCI dated the 31st March, 2011; No. L-3 (2)/Regln.-Gen. (Amdt.)/2011/CCI dated the 8th November, 2011; number L-3 (2)/RegIn.- Gen.Amdt./2013/CCI dated the 7th October, 2013; number L-3 (2)/RegIn.- Gen.(Amdt.)/2018/CCI dated the 6th December, 2018; number L-3 (2)/Regln.- Gen.(Amdt.)/2019/CCI dated the 20th November, 2019; number L-3 (2)/Regln.- Gen.(Amdt.)/2020/CCI dated the 6th February, 2020 and number L-3 (2)/Regln.-Gen.(Amdt.)/2021/CCI dated the 6th September, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.04.08 16:44:28 +05'30'